R.M.M. Law College SAHARSA
Amrendra Kumar Trivedi
Part. Time Law Teacher
Sub. Evi.

कोई तथ्य जब न्यायालय के अपने समक्ष पर विचार करने पश्चात यह निश्चय। करता है कि उसका अस्तित्व है। अथवा सम्भाव समझे उस विशिष्ट परिस्थिति को किसी प्रज्ञावान व्यक्ति अनुमान के आधार पर कार्य कर सकता नहीं तो स्पष्ट आशय, "सिद्ध" साक्ष्य का प्रमाण होता है, जो अपने आप में सिद्ध एक आधार और साधन माना जाने वाला है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 कहता है कि साक्षियों के लिए प्रमाण का अपेक्षा महत्व दिया जाय और कौन सी बात की अवधारणा के आधार पर निर्णय किया जाय।

किसी भी बात का ध्यान महत्व पूर्ण माना जाता है जिसके तर्क के आधार पर परखा जायेगा।

जैसे A और B के बीच कोई जमीन का विवाद चलरहा है, उस कथित जमीन की सही दस्तावेज तथा बना रखा है एवं प्रलेख तथा प्रमाणित करता है।

साक्ष्य सिद्ध का आवश्यकता मात्र मामला। तथ्य और विवाद का अंतर उक्त जमीन का दस्तावेज एवं अन्य कागजात करता है।

विवादक तथ्य कोई भी अधिकार और दायित्वों का पोषक करता है। आनुषंगिक तथ्य विषयों और विवाद के कारण न्यायालय मे आते है जिनके सभी ~~[illegible]~~ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय मे विचाराधीन होते आते है उन सभी बातों पर ध्यान देकर ही कोई फैसला या निर्णय लिया जाता है।